झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/विविध–05/2023 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी के निर्माण हेतु राशि रू0 19,46,972/– (रू0 उन्नीस लाख छियालीस हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के लिए हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से चाहरदिवारी निर्माण किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2405(नि0) दिनांक 29.09.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी निर्माण कार्य के लिए कुल रू0 1,46,56,500/– (रू0 एक करोड़ छियालीस लाख छप्पन हजार पांच सौ) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 21/योजना दिनांक 06.11.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1,11,13,884/– (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी) मात्र की राशि विभागीय आवंटनादेश सं0 30/बजट दिनांक 25.03.2025 के द्वारा विमुक्त की गई है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 2862(नि) दिनांक 07.11.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु अवशेष राशि की अधियाचना की गई है तथा पत्रांक 2926(नि0) दिनांक 13.11.2025 द्वारा उक्त राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

आवंटनादेश सं0 एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
30/बजट, दि0 25.03.2025	1,11,13,884.00	1,11,03,233.00

3. अतः झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रू0 19,46,972/– (रू0 उन्नीस लाख छियालीस हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती हैः–

S.No.	Items	Amount in Rs.
1.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	1,46,56,500/–
2.	एकरारनामा की राशि	1,11,13,884/–
3.	Variation/Deviation की राशि	11,33,889/–
4.	एकरारित कार्य पूर्ण होने के पश्चात लागत राशि (2+3)	1,22,47,773/–
5.	एजेन्सी चार्ज	8,13,083/–
6.	योजना पर निगम द्वारा किया जानेवाला कुल पुनरीक्षित व्यय (4+5)	1,30,60,856/–
7.	अबतक विमुक्त राशि	1,11,13,884/–
8.	अवशेष राशि जो JSBCCL को विमुक्त किया जाना है (6–7)	19,46,972/–

4. विषयांकित कार्य के लिए राशि का उपबंध एवं निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार (Sub Scheme Head-01 –राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण–जीर्णोद्धार) विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण के निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।
विपत्र कोड़ – 43S42020210506010545

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
10. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/विविध–05/2023 /राँची, दिनांकः–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/विविध–05/2023/05/योजना /राँची, दिनांकः– 04/06/2026
प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.26
सरकार के प्रधान सचिव